संलग्नक-07

लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण

मेसर्स इंसपायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा कुल क्षेत्रफल – 7.88 हेक्टेयर (19.49 एकड़) में प्रस्तावित कोल वॉशरी (वेट टाईप कोल वॉशरी) क्षमता– 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 19.02.2020 दिन बुधवार, समय 12.00 बजे ग्राम–सकर्रा, महावीर कोल वॉशरी बेलमुण्ड़ी के मुख्य द्वार के सामने (100 मीटर की दूरी पर) तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरणः–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई. आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मेसर्स इंसपायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा कुल क्षेत्रफल – 7.88 हेक्टेयर (19.49 एकड़) में प्रस्तावित कोल वॉशरी (वेट टाईप कोल वॉशरी) क्षमता– 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र नवभारत एवं हरिभूमि, बिलासपुर में दिनांक 16.01.2020 के अंक में तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द टाईम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 17.01.2020 के अंक में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 19.02.2020 दिन बुधवार, समय 12.00 बजे ग्राम–सकर्रा, महावीर कोल वॉशरी बेलमुड़ी के मुख्य द्वार के सामने (100 मीटर की दूरी पर) तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर, जिला–बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव, कार्यालय, ग्राम–पंचायत सकर्रा, अमसेना, बेलमुंडी, कोपरा, छतौना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राउण्ड फ्लोर, ईस्ट विन्ग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड नई दिल्ली, सदस्य सचिव, मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार,

जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त प्रस्तावित कोल वॉशरी के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 19.02.2020 दिन बुधवार, समय 12.30 बजे ग्राम–सकर्रा, महावीर कोल वॉशरी बेलमुण्ड़ी के मुख्य द्वार के सामने (100 मीटर की दूरी पर) तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री बी. सी. साहू, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ डॉ. सुरेश चंद्र, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् प्रस्तावक की ओर से श्री डी. एस. राजपूत, एडवाईजर/ईडी. मेसर्स इंसपायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा उद्योग के तहत् प्रस्तावित कोल वॉशरी परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को दी गई।

अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री चंद्रशेखर कौशिक, बेलमुण्डी** :– हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड रहा है। हमें बहुत सी कठिनाईयों का सामना पडेगा। गांव का विकास होगा व नौकरी मिलेगा। हमर करम फुठ गये। कोल वॉशरी को एनओसी दिये है। मै पंच भी बन गया हूँ। दोनों का सामना होना चाहिए। पूरा आसपास के क्षेत्र के गांव का पानी का समस्या है। 10 से 15 कि.मी. का है। हमारे गावं में 20–25 हैण्ड पंप है। गर्मी में पानी नहीं निकल रहा है। हमारे गांव का हैण्ड पंप खराब हो गया है। अच्छा से पानी नहीं निकल रहा है। सबसे बडा समस्या है। वॉशरी के चालू होने के पूर्व साईबेरियन पक्षी आते थे। कोल वॉशरी खुलने और विस्तार होने से पहले हमारे नदिया, तालाब सुख गये है। 60 लाख के लागत से पक्षी विहार बनायेंगे। कलेक्टर

महोदय बोले थे। चिराई आना बंद हो गये। आज गावं की मटासी माटी कन्हार बन गई है। आससपास की सबसे बडी मुख्य समस्या पानी है। गांव के 1.5 कि.मी. के परिधि में धान काली हो गयी है। खेत काला पड गया है। शासन काला धान नहीं ले रहा है। धान बिक नहीं रहा है। अभी तक कोई स्वास्थ सुविधा क्यो नहीं दी है। जब विस्तार हो रहा है। आज दिख रहा है। कोई विकास कार्य नहीं किया है। कंपनी हमारी पूर्ति नहीं कर सकता है। हर साल ग्राम पंचायत में 20 लाख शासन दे रही है। ये विकास के लिए पर्याप्त है। क्षमता विस्तार से हमारा विनाश हो जायेगा। हम लोग को फर्क पडेगा। हमारे पास हाईकोर्ट है। आसपास के क्षेत्रों में कोयले का डस्ट से हम सभी प्रभावित होंगे हम सबका आपत्ति नहीं करना है। हम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायेंगे। कंपनी ने जानकारी छिपाई है। हाईकोर्ट 05 कि. मी. की परिधि में है। एयरपोर्ट चकरभाटा में भी शुरू हो जायेगा। गांव का विकास बडे आदमी नहीं करते। छोटी आदमी ही विकास करते है। मै अपने अधिकार के लिए जागृत हूॅ। हाईकोर्ट में 03 बोर फेल हो गया है। हाईकोर्ट, एयरपोर्ट की जानकारी छिपाया गया है। यही सब को रोकना चाहता हूॅ। ये कोल वॉशरी के पानी से रास्ता, चारागाह, बर्बाद हो गया है। धूल से हमारा खेत पट गया है। बरसात में जमीन चिखला होता है। जो खेत में जाता है। फसल नहीं बढता है। कोयला में किसी प्रकार का विकास नहीं होता है। पेड पौधे का विकास रूक जाता है। पत्ते काले हो गये है। प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। 10 कि.मी. की परिधि में कानन पेण्डारी है इसके विस्तार से जानवर प्रभावित होंगे। उद्योग द्वारा सडक मार्ग से कोयला परिवहन के समय ढककर नहीं किया जाता है। जिससे आसपास के खेती भूमि पर कोयले के धूल जमने से गाय चर नहीं रहे है। कोल वॉशरी विकास के जगह हमारा विनाश कर रहा है। जन सेवा कोई नहीं कर सकता है। कोल वॉशरी हमारे जीव का जंजाल है।

2. **श्री रामकुमार कौशिक ग्राम–बेलमुण्डी, सरपंच** :– कोल वॉशरी के खुलने के बाद किसी भी तरह का फायदा ग्राम पंचायत बेलमुण्डी गॉव को नहीं हुआ है। कोयला धूल, डस्ट होने से उपज नहीं हो रहा है। गांव की मण्डी में काली धान खरीदने वाला नहीं मिल रहा है साथ ही पशुओ और जीव जन्तु को नुकसान हो रहा है। पहले भी जन सुनवाई हो चुका है। दिनांक 25.02.2010 को ग्राम पंचायत बेलमुण्डी में हुआ था। लोक सुनवाई में कहा गया था कि कोल वॉशरी खुलने से कोई प्रभावित नहीं होगा। बताया गया था। जो कि झूठी रिपोर्ट तैयार की गई है। कृषि भूमि को डायवर्सन कराकर उद्योग लगाया गया है। 10 कि.मी. की परिधि में नेशनल हाईवे, चकरभाटा, हाईवअड्डा और कानन पेण्डारी अभयारण क्षेत्र स्थिति है। कोल वॉशरी द्वारा बोरवेल्स से पानी लिया जायेगा। प्रभावित गांव की जल स्तर निचे चला गया है, गांव में पानी की समस्या रहती है। 19 पंचों द्वारा अनापत्ति

प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। हस्ताक्षर कूटरचित है उसके द्वारा कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। सरपंच द्वारा सीसी रोड के लिए दिया गया था। कोयले के धूल व राखड से खेत की फसलो का नुकसान हो रहा है।

3. **श्री परमानंद कौशिक, ग्राम बेलमुण्डी** :– प्रस्तावित परियोजना द्वारा जो जानकारी दी गयी। उसकी कण्डिका 03 में गलत जानकारी दी गयी है। जो कि स्थल से 10 कि.मी. की परिधि में आने वाली जानकारी गलत दी गई है। मालिक का कहना है कि कोल वॉशरी के 10 कि.मी. की परिधि में जानवरो को नुकसान हो सकता है। लेकिन कितनी भूमि सिंचित है और असिंचित इसमें कौन–कौन सी फसल ली जा रही है। जानकारी नहीं दी गई। ये जो बता रहा है झूठ है। दूसरो को आदमी नहीं समझ रहा है। वनो का महत्व है वैसे ही है किसानो का खेतो का है। 10 कि.मी. की त्रिज्या ने कितने एकड़ कृषि भूमि सिंचित है या क्या क्या फसल है। किस किस किसान के पास क्या क्या है। उल्लेख नहीं है। कंडिका 3.8 में बताया गया है। 2000 जनगणना के आधार पर आबादी बता रहा है। यहां कितना कृषि है। समतल है बंजर भूमि है। गाय भैस बैल मुर्गी आदि को नुकसान नहीं पहुचेगा। जंगल संवेदनशील है। इस क्षेत्र में कोल वॉशरी को नहीं लगाया जाता है। क्षेत्र संवेदनशील है। धूल आपके उपर फेकूगां तो बुरा लगेगा कि नहीं। देखिये हाथ कैसे काला हो गया है। हाथ से धूल उठाया। फिर हाथ से रूमाल से पोछ लिया। आग बबूला होंगे कि नहीं। मेरे बात को नहीं मानेंगे कि नहीं, मेरी गलती आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मेरी शक्ति, ताकत का मै इस गांव का आदमी हूँ। कोल वॉशरी 10 किमी की दूरी पर धूल धक्कड करेगा। जो हमारे मुंह से शरीर में फैलाया जायेगा। हमें लाभ नहीं हानि पहुंचा रहा है। हानि, बीमारी, अशांति फैला रहा है। हम कोल वॉशरी के सामने नहीं आना चाहते है। हम कोल वॉशरी से भयभीत है। यहां का आदमी उपकरण हो चुका है। महावीर कोल वॉशरी वाले उपयोग कर रहा है ये मै नहीं दस्तावेज बोल रहा है। मुझे कोल वॉशरी वाले धमकी दिया है। मै तुम्हारे वंश को मिटा दूंगा। मुझे शासन का संरक्षण प्राप्त है। सरपंच लोग एनओसी नहीं दिये है। धन, बल के ताकत से सचिवो को खरीद लिया है। तुम मेरा क्या कर लिये। यहां मेरा शासन चलता है कोल वॉशरी वाले का शासन चलता है। ऐसी धमकी किसानों को दे रहे है। फसल आधा से भी कम हो चुका है। अपने अपने खेतो को बेच कर पलायन कर रहे है। चल रहे कोल वॉशरी को सदा सदा के लिए बंद कर दे, अन्य कोल वॉशरी न खुलने दे।

4. **श्री कौशल प्रसाद साहू, सर्करा** :– परियोजना प्रबंधक झूठ का पुलिंदा है। यहां की जमीन को चारागाह जमीन, बंजर जमीन बताया गया। ये जमीन को कृषि कार्य के लिए खरीदा गया था। यहां डेंटल कॉलेज का निर्माण किया जायेगा। हमारे क्षेत्र में

एक उच्च शिक्षा मिलेगा। वे गदगद थे। यहां से धुआं उडरहा हैं अनाज को आदमी तो आदमी जानवर भी नहीं खा रहे है। जमीन पथरिला हो चुका है। पेड पौधे आक्सीजन छोडने की क्षमता प्रभावित हो रही है। इससे मानव जीवन, जीव जन्तु पर बहुत बुरा प्रभाव पड रहा है। बिल्हा को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है वहां उद्योग लगाया जाये। इस उद्योग को स्थानांतरित किया जाये।

5. **श्री दिलीप कुमार कौशिक, बेलमुण्डी** :–भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि को उद्योगपति भी खेती को लाभ का वरदान मानते है। यहां के लोग 60 से 70 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से जुडे हुये है। धान की खेती की जाती है। धान का कटोरा कहां जाता है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा उद्योग लग गये है। विरोध से कुछ नहीं होता है। किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हो सकता है। विस्तार का हम विरोध करते है। हाईकोई 8 कि.मी. की परिधि में एशिया का सबसे बडा हाईकोर्ट है जिसे नहीं बताया गया है। हवाई अड्डा को नहीं बताया गया है। रायपुर को बताया गया है। दक्षिण पूर्व मंडल को नहीं बताया गया है। कानन पेण्डारी की भी जानकारी छिपाई गई है। यहां वन काटे जा रहे है। यहां कोल वॉशरी न बनाये जाये। धान काला पड गया है। धान काले को मंडी में 900 रूपये में कोई लेने वाला नहीं है। जबकि 1800 रूपये में बिक रहा है। उद्योग के आसपास काला डस्ट उड रहा है मानव स्वास्थ को नुकसान हो रहा है।

6. **श्री विष्णु प्रसाद कौशिक, बेलमुण्डी** :– कोल वॉशरी बंद हो, नारेबाजी की गई। कोल वॉशरी बंद हो, बंद हो, हमारा धान देख ले। कोल वॉशरी की कोई गाडी ग्राम की सडक पर कोल परिवहन न हो। कोल वॉशरी बंद हो।

7. **श्री अशोक साहू, अमसेना** :– उद्योग प्रबंधन ने कहा है कि हम परिसर के अंदर पानी छिड़काव करेंगे तो जिस रोड पर कोयला परिवहन करेगा। वहां का क्या होगा? हमारा कहना है कि प्रबंधक हमारे गांव में रहकर देखे और रहेगा तो अच्छा और हमारी जो भी धान है उसको खरीदे, हम बीमार है स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। उद्योग/फैक्ट्री को नहीं बढाना चाहिए। कोयला रोज गिर रहा है कोयला। बिस्तर तक खराब हो गया है कोयला से। स्वास्थ्य की गारंटी ले प्रबंधक। किसान के प्रति अन्याय है।

8. **श्री घनश्याम कौशिक, कुरेली** :– लोक सुनवाई के विरोध में जो खडे है। मै वादा करता हूँ कि कोल वॉशरी क्षेत्र में प्रकृति से खिलावड न करे। पर्यावरण से खिलवाड न करें। मांग करता हूँ कि बिना लोक सुनवाई और बिना जन प्रतिनिधि क्षेत्र का निर्णय न करें और जन समर्थन के विरोध को देखते हुए निवेदन करते है कि इस क्षेत्र में हाईकोर्ट स्थापित है जिसकी पहचान पेण्डारी है क्षेत्र की पहचान कोपरा

जलाशय है मनियारी नदी बहती है। क्या विश्व में जल संरक्षण की मुहिम चलाई जा रही है। हमारी प्रकृति से खिलावड नहीं करना चाहिऐ।

9. **श्री ए. सूर्यराम कौशिक, बेलमुण्डी** :– प्रस्तावित कोल वॉशरी का विरोध करता हूँ। महावीर कोल वॉशरी का विरोध करता हूँ। मेरा खून उबाल मारता है। जब गांव की भूमि को कोयले से सना हुआ देखता है। यहां पर ग्रामवासियों के विरोध के बावजूद कोल वॉशरी का संचालन हो रहा है। पूर्व लोक सुनवाई में दिये गये झूठे जानकारी के आधार पर स्वीकृति दी गई है। पहले जमीन बंजर बताया गया। झूठा पर्यावरण आंकलन कर उद्योग लगाया गया है। कृषि के नाम पर जमीन खरीद कर कोल वॉशरी लगाई गई है। कोल वॉशरी को उखाड फेक देना चाहिए। प्लांट मालिको ने किसानो को कोयले की धूल लगा दिया है। अब उन्हे कोई दूसरा प्लांट लगाने नहीं देंगे। जमीन की रजिस्ट्री में कृषि प्रयोजन लिखा गया है। मै कोल वॉशरी से लडने को तैयार हूँ। किसानो की भूमि बंजर हो रही है।

10. **श्री दुर्गाप्रसाद, अमसेना** :– कोल वॉशरी के कारण हमारा धान 03 साल से बर्बाद हो रहा है। कोल वॉशरी में एक घंटे घुमकर बता दें मीडिया धान को चूस कर दिखा दे। आप लोग ये धान खाकर दिखा दे। हम खरीद कर धान खाने को मजबूर है। इस धान को हाईलाईट करें। मेरा खेत फंसा है। मेरा 90 डिसमिल जमीन सेंटर में फंसा है। जिसमें खेती नहीं कर पा रहा हूँ। 05 साल बाद फिर यही होगा। सीधे जाकर देख लो। जमीन खराब एवं बंजर हो गई है। यदि हमने अभी बढावा दिया तो आसपास की और जमीन खराब होगी। हमारे साथ चलकर देखे। हमारी जमीन की उपज धान फेकने को मजबूर है। जमीन औने–पौने दामों में खरीदी जाती है। हमारी धान शायद ही 500 रूपये में खरीदी जाती है। यदि मेरी जमीन बिक गई तो उस पर रास्ता निकल जायेगा। और हमे उससे लगी हुई बाकी जमीन मजबूरी में बेचनी पडेगी। **कोल वॉशरी बंद करो, की नारे बारी हुई।** जय जवान जय किसान, नारा लगाया **कोलवॉशरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद नारे बाजी हुई।**

11. **श्री विश्राम कौशिक, बेलमुण्डी** :–प्रस्तावित कोल वॉशरी की स्थापना के लिए हम ग्रामवासियों को पूरा विरोध है। फसल बिक्री योग्य नहीं है। ग्राम के निवासियो और कृषि भूमि जानवर पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। पूर्व में भी लोक सुनवाई हुई थी। विरोध के बावजूद प्लांट लग गया। कोल वॉशरी से धान, गेहू, सरसो आदि प्रभावित है। फसलो की क्षतिपूर्ति उद्योगों द्वारा नहीं दी जाती है। कोल वॉशरी में ग्राम पंचायत की एनओसी फर्जी है। फर्जी की जांच कराई जानी चाहिए। जिस सरपंच के कार्यकाल में एनओसी जारी की गई है जांच कराये। पूर्व से इसका विरोध होता आया है। रिपोर्ट दर्ज कराए। नही तो हम विधानसभा में दर्ज करायेंगे, और मेरा भी

विरोध है। हमारे गांव के लोगों को रोजगार नहीं दी, वृक्षारोपण नहीं किया, सडक का निर्माण नहीं किया गया है।

12. **श्री घासीराम , बेलमुण्डी** :– कोल वॉशरी की हैवी गाडियों के परिवहन से कोयला डस्ट/धूल उडता है। जिससे प्रभावित आसपास क्षेत्र व तालाब में काली परत पड रही है। इसे रोका जाए।

13. **श्री टिकेश्वर कौशिक, बेलमुण्डी** :– अभी तक सभी वक्ताओं ने सबसे बडी समस्या पानी की समस्या को लेकर हम लोग परेशान है। यहां पर पानी और कोयला के धूल की समस्या है। घोंघानदी, महानदी की स्तर काफी नीचे है। जल स्तर घट गया है। कोल वॉशरी से हाईकोर्ट को छिपाया गया है। हवाई अड्डा मिनी जू को भी छिपाया गया है। 5 से 6 कि.मी. की दूरी पर है। हाईकोर्ट में 03 नलकूल फेल हो गये थे। हमको समस्या होती है गर्मी के दिनो में। 25–30 किसानो का धान मरने की स्थिति में आ गया है। कोल वॉशरी में 25000 कि.लीटर/दिन पानी उपयोग किया जाता है। तो जल स्तर कहां जायेगा। विस्तार से पानी का दोहन का क्षमता डबल हो जायेगा। हमारी मांग है कि ग्राम पंचायत की रोड व नाली के साथ सीसी रोड बनवायें। पांच साल पहले तक कोपरा जलाशय में साईबेरियन पक्षी आता था लेकिन चल रही कोल वॉशरी खुलने के बाद प्रवासी पक्षी नहीं आ रहे है। कोल वॉशरी के द्वारा कोई भी कैम्प नहीं लगाया गया है। आसपास के सारे परसा का पेड में कोयले की परत जम गई है रोड में 4 इंच की परत जम गई है। किसानों का धान काला हो गया है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परियोजना के विस्तार पर आपत्ति है।

14. **श्री राजकुमार कौशिक, अमसेना** :– बिना एनओसी 05 गांव के सूचना का अधिकार मांगना चाहता हूँ। कि किस गांव ने एनओसी दिया है।

15. **श्री महेत्तर प्रसाद कौशिक, बेलमुण्डी** :– सूर्यराम कौशिक का झोला दिखाया है। विरोध किये है तो अधिकारी क्यों नहीं आया।

16. **श्री भूपेश शर्मा, अमसेना** :– पानी को बटवाया जा रहा है पानी को दूषित किया जा रहा है। पिछले वक्ता बोल के गये है। कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। 05 गावं के सरपंच को सब मालूम है। दूसरा प्लांट भी चालू हो जायेगा। दूसरा प्लांट भी बडे धाक से चालू कर रहे है।

17. **श्री नंद कुमार चौबे, अमसेना** :–आज की जनसुनवाई में हमारी कुछ मांगे है। जैसे कि भूपेश शर्मा ने कहा कि हम लाख कोशिश करे तो खुल सकता है। जब एक प्लांट खुल सकता है तो दूसरा भी खुल सकता है। आज पूरा गांव विरोध करने नहीं आये चार लोग विरोध कर रहे है। तो 40 लोग समर्थन कर रहे है। हम कोल वॉशरी से मांग करते है कि कोल वॉशरी में गांव के लोगों को रोजगार दिया जाये। सडक बनाये, सडक पर जल छिडकाव कराये, स्वास्थ शिविर लगाये, बडे डाक्टर को बुलाये। आज हम खुलकर विरोध कर रहे है। कोल वॉशरी से जो गंदा पानी आ रहा है उसे साफ कराया जाये।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 2.30 बजे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री डी. एस. राजपूत, एडवाईजर/ईडी. मेसर्स इंसपायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 2.38 बजे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 190 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 17 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 200 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 09 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)